



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झौंसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

सनदी - बुधवार/सम्बत/2021/3426

दिनांक - 31/07/2021

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
 डा० बी० आर० अम्बेडकर(बी०एड०) महाविद्यालय,
 गिरवीं, बौदा।

विषय—डा० बी० आर० अम्बेडकर(बी०एड०) महाविद्यालय, गिरवीं, बौदा को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक रत्नर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम में दिनांक 01/07/2021 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (हिन्दीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्णानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को सामाजिक विद्या गया है। तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसंधिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र सं० सम्ब०-1146 / उत्तर-2-2014-16(256) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार डा० बी० आर० अम्बेडकर(बी०एड०) महाविद्यालय, गिरवीं, बौदा को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक रत्नर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई 2021 में निरीक्षण मण्डल की आव्याय एवं सालग्रन अभिलेख प्रस्तुत किये गये। निरीक्षण मण्डल की सत्यता एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध अभिलेखों तथा कार्यालयी टीप का परीक्षण समिति द्वारा किया गया।

निरीक्षण मण्डल की आव्याय, कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आव्याय एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में नाननीय कुलपति जी द्वारा डा० बी० आर० अम्बेडकर(बी०एड०) महाविद्यालय, गिरवीं, बौदा को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक रत्नर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता के अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

1. महाविद्यालय में अनुमोदित शिक्षकों के बेतन आदि एवं महाविद्यालय की अन्य किसी वित्तीय दायित्व के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कर्मियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को संरक्षित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण भत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अनिश्चयन दिभाग के नियमों को अनुसार अनिश्चयन प्रमाण पत्र नपीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
4. महाविद्यालय नानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराकर, अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार घटण आव्याय, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवैधि तथा देय बेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

सनदर्भ :- बुधवार / सम्पूर्ण / 2021/८३। २६

दिनांक:-

3//07/2021

5. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इंपटर्नेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
6. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851 / सत्र-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उत्तिलिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने योजित रिट याचिका स0 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों को अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522 / सत्र-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भवीभाति अनुपालन तथा अनुमोदित विष्यों के बेतन का भुगतान वैक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
7. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध लंब द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख / सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, यिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
8. समरत महाविद्यालयों को 100 रुपये के रापथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व्याख्यान लक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगशालक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शापथ पत्र दाखिल है कि स्नातक / स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
9. यदि महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

मदीय

(नामांकन प्रसाद)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, प्रयोगशाल।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
5. समाज कल्याण अधिकारी, बौदा।
6. श्री सतोष सरसीया, आशुलिपिक, सम्बद्धता विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र शासन की बेक्साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव